

पूर्व मध्य रेल
समस्तीपुर मंडल
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना संख्या-सी/407/एसटीबीए/0/भाग-IV

दिनांक-22.09.2026

समस्तीपुर मंडल में NSG-6 श्रेणी के 01 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट
(एसटीबीए) की चयन हेतु अधिसूचना।

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर के द्वारा समस्तीपुर मंडल में NSG-6 श्रेणी के 01 स्टेशन (1.राघोपुर) पर कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यू0टी0एस0) द्वारा कमीशन दर पर अनारक्षित टिकट देने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एस0टी0बी0ए0) के चयन के लिए आवेदन स्थानीय लोगों से बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। संविदा की प्रारंभिक अवधि मात्र 03 (तीन) वर्षों की होगी।

आवेदक अपना आवेदन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर के कार्यालय में पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक या हाथो-हाथ अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 16.10.2026 तक किसी भी कार्य अवधि में 11.00 बजे से 17.00 बजे के बीच जमा कर सकता है। अंतिम तिथि दिनांक 16.10.2026 को 17.00 बजे के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के उपर स्टेशन का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक किसी एक ही स्टेशन के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी एक ही स्टेशन के लिए एसटीबीए के रूप में चयन किया जायेगा।

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के चयन की पात्रता एवं शर्तें

- 01 जन्म तिथि-आवेदक की आयु दिनांक 16.10.2026 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उम्र के प्रमाण के लिए केन्द्रीय शैक्षणिक बोर्ड अथवा इससे संबंधित कोई अन्य प्रलेख।
- 02 शैक्षणिक योग्यता-आवेदक को कम से कम दसवी पास होना चाहिए। इसके प्रमाण में राज्य/केन्द्र शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्गत स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 03 चरित्र प्रमाण पत्र-आवेदक को संबंधित जिले के जिला अधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा निर्गत नवीनतम (छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र अच्छा है। चयनित आवेदक को अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित नहा है।
- 04 आवासीय प्रमाण पत्र-आवेदक को उसी जिले (District) का निवासी होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए उसने आवेदन दिया है। इसके लिए उसे उस जिला के डी0एम0/एस0डी0एम0/बी0डी0ओ0/सी0ओ0 द्वारा निर्गत स्थानीय नागरिक होने का नवीनतम प्रमाण पत्र देना होगा।

- 05(ए) NSG-6 श्रेणी के स्टेशनों के लिए आवेदक अपने नाम के 2000/- रु० मूल्य के भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर के नाम से देय हो तथा समस्तीपुर में भुगतये हो (FA & CAO, ECR, Hajipur payable at Samastipur)
- (बी) अधिकार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने वाले सफल आवेदक की बयाने की राशि जब्त कर ली जाएगी।
- (सी) असफल आवेदको का ई0एम0डी0 एक समय सीमा के भीतर वापस कर दिया जाएगा तथापि रेल के पास रहने के बदले इस पर किसी प्रकार का व्याज नहीं दिया जायेगा।
- (डी) विहित बयाने की राशि नहीं जमा करने वाले आवेदक का आवेदन सरकारी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी तथा इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जा सकता है।
- 06 NSG-6 श्रेणी स्टेशनों के सफल आवेदक को रु० 10,000/- (दस हजार) मात्र का व्याज रहित वापस किये जाने वाले जमानती राशि तैयार रखना होगा जो नियंत्रक स्टेशन पर यूटीएस सिस्टम के द्वारा नगद जमा करना होगा। संविदा की अवधि समाप्ति/पूर्ण होने के पश्चात जमानती राशि जमा से लंबित वकाये को समायोजित किया जायेगा। एस0टी0बी0ए0 अभिकर्ता को शेष बची राशि वापस की जायेगी।
- 07 आवेदन के साथ आवेदको को नवीनतम बना पासपोर्ट आकार का स्वअभिप्रेमाणित फोटो चिपकाना चाहिए, तथा संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा अभिप्रेमाणित होना चाहिए।
- 08 एस0टी0बी0ए0 स्टेशन के वर्तमान बुकिंग काउन्टर से टिकट जारी करेंगे।
- 09 एस0टी0बी0ए0 स्टेशन मास्टर को बेचे गये टिकटों के मूल्य एवं बिक्री का दैनिक आधार पर हिसाब-किताब देंगे।
- 10 एस0टी0बी0ए0 को प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर रेल प्रशासन के साथ एक करार करनी होगी जिसमें निर्धारित खंडों के अनुसार उन्हें कार्य करना होगा।
- 11 एस0टी0बी0ए0 की चयन का अर्थ यह नहीं माना जायेगा की वे रेलवे में सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। यह चयन पूर्ण रूपेण संविदा पर आधारित है। फलतः एस0टी0बी0ए0 को रेलवे नौकरी, नियमित सेवा, बोनस, रेल पास जैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी।
- 12 चूंकि एस0टी0बी0ए0 का चयन पूर्णरूपेण ठेके पर आधारित है, अतः किसी पक्ष की ओर से 10 दिनों की नोटिस पर इसे समाप्त किया जा सकता है।
- 13 निम्नलिखित प्रकार से कमीशन का भुगतान किया जायेगा।

स्लैब	मासिक बिक्री टर्नओवर (रु में)	मासिक कमीशन प्रतिशत
स्लैब - 1	1 - 20,000	25 प्रतिशत, कम से कम रु० 2500/-
स्लैब - 2	20,001 - 100000	15 प्रतिशत
स्लैब - 3	100000 से उपर	4 प्रतिशत या ऑफर प्रतिशत दोनों में से जो कम हो।

पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले सफल आवेदकों में से जो आवेदक सबसे कम कमीशन (4 प्रतिशत अथवा इससे कम कमीशन स्लैब) पर कार्य करने के विकल्प का चयन करेंगे उन्हें चयन हेतु चयनित किया जाएगा।

- 14 एस0टी0बी0ए0 संविदा से हटकर अधिकार अथवा दायित्वों का न तो हस्तांतरण कर सकते हैं और ना ही यह कार्य किसी को भाड़े पर दे सकते हैं। लाईसेंसधारी की मृत्यु हो जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर बाकी बची अवधि के लिए यह कार्य उनके कानूनी वारिस को दिया जा सकता है। इसमें उल्लेखित नीति की प्रावधानों के तहत मृतक का कानूनी वारिस लाईसेंस विस्तार हेतु आवेदन कर सकता है।
- 15 एस0टी0बी0ए0 भारतीय रेलों पर प्रचलित 08 घंटों की पाली में कार्य करने वाले स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के पास टिकट बिक्री से हुए आय को जमा करा देंगे। यहाँ 08 घंटों की पाली का कार्य 08.00 बजे से 16.00 बजे, 16.00 बजे से 24.00 एवं 24.00 से 08.00 तक है।
- 16 यदि एस0टी0बी0ए0 की लापरवाही या निर्गत करने के समय अनुपस्थित रहने की वजह से यदि टिकट का कार्य बाधित होता है तो ऐसे स्थिति में एसटीबीए के प्रतिदिन के सेल टर्नओवर के बराबर, लेकिन 2000/— हजार से कम नहीं के हिसाब से एसटीबीए के विरुद्ध प्रतिदिन अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की जन शिकायत की पृष्टि होने पर रुपये 500/— तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
- 17 प्रारम्भ में प्रत्येक स्टेशन पर एक एस0टी0बी0ए0 नियुक्त किये जाएंगे। एस0टी0बी0ए0 संविदा से हटकर न तो इस कार्य को किसी को भाड़े पर देंगे और ना ही अपने अधिकार या दायित्वों को दूसरे को सौपेंगे तथापि यदि वे ऐसा चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें रेल अधिकारी की पूर्व अनुमति से मानक करार में इसकी व्यवस्था करनी होगी।
- 18 टिकट बिक्री के लिए ऐसे नामित व्यक्ति एवं एस0टी0बी0ए0 को संबंधित मंडल द्वारा एक फोटो पहचान पत्र दिया जायेगा तथा स्टेशन परिसर के नोटिस बोर्ड पर उसका नाम लिखा जायेगा।
- 19 एस0टी0बी0ए0 द्वारा टिकट दिये जाने के समय का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित रेलवे के द्वारा किया जाएगा।
- 20 एस0टी0बी0ए0 को यूटीएस के माध्यम से जारी सभी प्रकार के गैर रियायती अनारक्षित टिकटों को केवल नगद आधार पर बेचने की अनुमति होगी, जिसमें प्लेटफार्म टिकट और सिजन टिकट सामिल है। क्षेत्रीय रेलवे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ऐसे स्थान पर पीओएस/डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान को अधिकृत कर सकता है। सिजन टिकटों के नवीनीकरण और वरिष्ठ नागरिक रियायती टिकटों को जारी करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त वैसे सभी रियायती अनारक्षित टिकट जिसमें समर्थन में संबंधित दस्तावेज की जरूरत है को निर्गत करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/बुकिंग क्लर्क/आरक्षण पर्यवेक्षक की टिप्पणी दर्ज किया गया हो और अनुमति प्रदान की गई हो।
- 21 एसटीबीए द्वारा मनी रसीद, टीटीई कैस, पार्सल कैस आदि एसटीबीए काउन्टर पर तभी जमा किये जा सकते हैं जब संबंधित स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/बुकिंग क्लर्क/आरक्षण पर्यवेक्षक द्वारा अधिकृत किया गया हो, ऐसे कैस की गणना कमीशन के लिए नहीं की जायेगी और इस पर एसटीबीए को कोई कमीशन देय नहीं होगा।
- 22 संबंधित स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन द्वारा पृष्ठांकित किये गये टिकट की एनआई (जारी नहीं) करने के लिए एसटीबीए अधिकृत होंगे।

- 23 टिकट को निरस्त करना:— संबंधित स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन द्वारा प्राधिकृत/पृष्ठांकित किये गये टिकट ही स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा ही निरस्त किया जायेगा।
- 24 स्टेशन का प्रभारी रेल कर्मी अर्थात् स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर टिकट रॉल की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु जिम्मेवार होंगे और यह उनकी ड्यूटी होगी की वह एस0टी0बी0ए0 से रोज टिकट रॉल के लेन-देन का कार्य करेंगे। एस0टी0बी0ए0 को जारी टिकट रॉल के रिकॉर्ड का समुचित अनुरक्षण स्टेशन पर किया जायेगा।
- 25 एस0टी0बी0ए0 द्वारा पाली सारांश (शिफ्ट समरी) एवं लेन-देन विलय का दैनिक सारांश यू0टी0एस0 से किया जाएगा एवं एस0टी0बी0ए0 अपने शिफ्ट/दिन की ड्यूटी की समाप्ति के बाद स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के पास उक्त के अनुसार नकदी जमा कर देंगे।
- 26 एस0टी0बी0ए0 आपूर्ति किये गये टिकट रॉल का समेकित विवरण एवं उनके द्वारा बेची गयी टिकटों का विवरण स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर अथवा किसी अन्य नामित अधिकारी द्वारा प्रत्येक महीना डी0सी0एम0/सीनियर डी0सी0एम0 को दिया जाएगा।
- 27 इस योजना की रुपरेखा के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल को कार्यकारी दिशा-निर्देश जारी की शक्तियाँ प्राप्त है।
- 28 आवेदक को एक लिखित प्रमाण-पत्र देना होगा की वे किसी भी सरकारी या गैरसरकारी विभाग में या एसटीबीए में किसी अन्य स्टेशन पर कार्यरत नहीं हैं।

टिप्पणी:—रेलवे के वेवसाईट www.ecr.indianrailways.gov.in पर आवेदन का प्रारूप एवं शर्तें उपलब्ध है। इसे उक्त वेवसाईट से डाउन लोड किया जा सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक/पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

(राजेश कुमार)/सवाप्र
कृते वरि0 मंडल वाणिज्य प्रबन्धक
समस्तीपुर

एस0टी0बी0ए0 अभिकर्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रपत्र

फोटो

- 01 एस0टी0बी0ए0 की माँग वाले स्टेशन का नाम :-.....
श्रेणी.....
- 02 आवेदक का नाम:-.....
- 03 पिता/पति का नाम:-.....
- 04 स्थायी निवास:- (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
.....
- 05 शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 06 जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 07 चरित्र प्रमाण पत्र:- (डी0एम0/ ए0डी0एम0/ एस0डी0एम0/ पुलिस अधीक्षक/ बी0डी0ओ0/ सी0ओ0 /तहसीलदार द्वारा निर्गत).....
- 08 बयाने की राशि का विवरण:-
I) बैंक का नाम:-..... शाखा:-.....
II) डीडी संख्या:-..... दिनांक:-.....
III). रुपये V) IFSC Code.....
- 09 1,00,000/- रु0 से ज्यादा की रकम वाले स्लैब में 04 प्रतिशत कमीशन के लिए दिया गया कमीशन:-

स्लैब	मासिक बिक्री टर्नओवर (रु०में)	मासिक कमीशन प्रतिशत
स्लैब - 1	1 - 20,000	25 प्रतिशत, कम से कम रु० 2500/-
स्लैब - 2	20,001 - 100000	15 प्रतिशत
स्लैब - 3	1,00,000 से उपर	4 प्रतिशत
निर्धारित दर 1,00,000/- से उपर अधिक के स्लैब के लिए प्रतिशत में दर उद्धृत करना होगा)		
अंको में	शब्दों में	

टिप्पणी:-

- सबसे कम दर अंकित करने वालों पर विचार किया जाएगा। रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह बिना विहित कारण के किसी अथवा सभी आवेदनों / विज्ञापितियों को निरस्त कर सकता है।
- घोषणा:- घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी सरकारी या गैरसरकारी विभाग में या एसटीबीए में किसी अन्य स्टेशन पर कार्यरत नहीं हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर:-

नाम:-.....
पिता/पति:-.....
ग्राम:-..... पोस्ट:-.....
प्रखण्ड:-.....
जिला:-..... पिन:-.....
मोबाईल नं०
दिनांक:-.....